## ।। कार्यालय प्रधानाचार्य, राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, जोधपुर ।।

क्रमांकः– व–53( )विविध / RPTC / 2026 / 256-71 दिनांकः– 16/06/26

### नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, मण्डोर रोड, जोधपुर के प्रांगण में दिनांक 05.08.2026 को प्रात 10 बजे मियादी / बिना मियादी लोहे की चारपाई, टेन्ट, रिवाईलिंग कुर्सी, केन कुर्सी, सिलिंग फैन, लोहा टेबल, प्रेस हेवी, गीजर, हैल्मेन्ट, ढाल, लाठी, एम्पलीफायर मशीन, दरी पट्टी, वाटर / डेजर्ट कूलर, फर्नीचर, लोहे के दरवाजे, लकडी के दरवाजे, लोहे के बॉक्स, खेल सामग्री इत्यादि की कुल कीमत 3991764 रुपये के सामान की नीलामी की जावेगी। अतः इच्छुक खरीददार निश्चित समय पर उपस्थित होकर बोली लगा सकते है, नीलामी से सम्बन्धित आवश्यक शर्तें कार्यालय समय में देखी जा सकती है, बोली लगाने वाले को नियमानुसार नगद धरोहर राशि 80000 रुपये(अस्सी हजार रूपये मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट / नगद कमाण्डेन्ट राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, जोधपुर के नाम जमा करवाकर नीलामी बोली में भाग ले सकेंगे। राशि बोली लगाने से पूर्व जमा करवानी होगी।

नोटः– नियम व शर्तें विभागीय वेबसाईट SPPP पोर्टल पर देखी जा सकती है।

**नीलामी शर्तें–**

1. यह नीलामी निर्धारित कमेटी द्वारा की जायेगी तथा कमेटी के सदस्यगण किसी कारण / कार्यवंश उपस्थित नहीं होने पर नीलामी स्थगित की जा सकती है।
2. बोली लगाने वाले प्रत्येक व्यक्ति एवं फर्म को 80000 रूपये धरोहर राशि कमाण्डेन्ट राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, जोधपुर के नाम जरिये डीडी / नगद राशि अग्रिम जमा करवानी होगी, जो बोली समाप्त होने के बाद अधिकतम बोलीदाता के अलावा सभी को वापस लौटा दी जायेगी। बोलीदाता धरोहर राशि जमा करवाने पर ही बोली लगाने का हकदार होगा।
3. सामान का आरक्षित मूल्य नीलामी कमेटी द्वारा मौके पर निर्धारित की जायेगी। तथा निर्धारित सरकारी बोली से आगे नीलामी बोली रूपये 500 / – के स्पेस में बोली लगानी होगी।
4. खरीददार को बोली लगाने से पूर्व नीलामी की समस्त शर्तें पूर्ण रूप से जान लेनी होगी। बोली छूटने के बाद किसी प्रकार की आपत्ति / ऐतराज नही सुना जावेगा।
5. कमेठी के सदस्यों को पूर्ण अधिकार होगा कि यदि सामान को बचने पर उचित कीमत प्राप्त नही होने पर नीलामी निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।
6. सरकारी बोली प्रारम्भ करने की राशि कमेठी द्वारा निर्धारित की जावेगी एवं कमेठी द्वारा ही समाप्त की जावेगी।
7. सफल बोलीदाता के नाम बोली छूटने पर उसी समय समस्त राशि एकमुश्त नगद जमा करानी होगी तथा सामान भी उसी समय उठाना होगा।
8. नाकारा सामान की नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति एवं फर्म को फोटोयुक्त पहचान पंत्र की मूल प्रति एवं छायां प्रति साथ लानी होगी।
9. नियमानुसार नीलामी किये गये सामान पर नीलामी राशि पर देय जीएसटी, खरीददार को अलग से भुगतान करना होगा।
10. राज्य सरकार के किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी को बोली लगाने का अधिकार नही होगा।

11. जीएसटी, रजिस्ट्रड फर्म या व्यक्ति जो भी उक्त प्रकिया में भाग लेगें उन्हें नीलामी में आवेदन पत्र पर आवेदक का नाम, फर्म का नाम, पता एवं मोबाईल नम्बर अंकित करते हुए आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

12. टोकन प्राप्त आवेदक ही बोली मे भाग ले सकेगा। अन्य कोई व्यक्ति उक्त प्रकिया में भाग नही लेगा।

16.6

**(महावीर सिंह राणावत)**
प्रधानाचार्य
राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र,
जोधपुर

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. श्रीमान अति. महानिदेशक पुलिस, (प्रशासन/आयोजना एवं कल्याण) राज. जयपुर।
2. श्रीमान अति. महानिदेशक पुलिस, (प्रशिक्षण) राज. जयपुर।
3. श्रीमान उप महानिरीक्षक पुलिस, आर.पी.टी.सी., जोधपुर
4. श्रीमान पुलिस अधीक्षक केन्द्रीय भण्डार पुलिस मुख्यालय राज. जयपुर।
5. श्रीमान जिला कलेक्टर जोधपुर।
6. श्रीमान उप निदेशक विज्ञापन, निदेशालय सूचना एवं जन सम्पर्क राज. जयपुर को नीलामी की सूचना नियमानुसार समाचार पत्र में प्रकाशित करवाने सम्बंध में।
7. श्रीमान निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।
8. श्रीमान महानिरीक्षक पुलिस, जोधपुर रेंज/आरएसी रेंज, राज. जयपुर।
9. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक/कमाण्डेन्ट आरएसी बटालियन्स/प्रशिक्षण संस्थान राजस्थान।
10. वित्तीय सलाहकार, पुलिस मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर।
11. कोषाधिकारी, कोषालय जोधपुर शहर को भेजकर लेख है कि आप या आपके कार्यालय से प्रतिनिधि को नीलामी तिथि को समय पर कमेटी में सम्मिलित होने हेतु संस्थान में भिजवाने की व्यवस्था करावें।
12. मुख्य वाणिज्य कर अधिकारी जोधपुर को वास्ते मौके पर टैक्स राशि वसूली हेतु अपना प्रतिनिधि भिजवायें।
13. संचित निरीक्षक, आरपीटीसी, जोधपुर को वास्ते आवश्यक कार्यवाही हेतु।
14. प्रभारी लेखा शाखा आरपीटीसी, जोधपुर।
15. रोकडपाल, आरपीटीसी, जोधपुर को वास्ते बोलीदाताओं से नियमानुसार धरोहर राशि/नीलामी से प्राप्त राशि प्राप्त करने हेतु मौके पर उपस्थित होने बाबत।
16. प्रभारी कम्प्यूटर शाखा कार्यालय हाजा को निलामी सूचना प्रति भेजकर लेख है कि उक्त निलामी सूचना का प्रकाशन राज्य लोक उपापन पोर्टल एवं शासकीय वेबसाईट पर प्रकाशित करने एवं कराने हेतु।

16.6.20

प्रधानाचार्य
राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र,
जोधपुर